2020/00062

बोशो स्टेशनर्स, मांडलगढ़ ☎ 230289
ता. पेशी स्टेज

21.09.22
28.9.22
12.10.22
7.12.22

जनरल रूल्स [redacted] फार्म नम्बर 8 के
न्यायालय उपख[redacted]ला-भीलवाड़ा (राज.)

किस्म मुकदमा 1	नम्बर मुकदमा 2	तारीख दायर 3	तारीख फैसला 4	फैसला क्रमांक 5
88-188	20/2020	2 7/20	जवाब 27/1/2021 जवाब. 31/3/22 बहस साक्ष्य 28/4/22 16.06.22 9/1/24 प्रमाणि	21/6/23 28/6/23 20/12/23 9/1/24

अनवान

श्री शंकर लाल पुत्र कन्हैयालाल धाकड़ v/s. श्री शंकर लाल पुत्र भंवरलाल धाकड़ वगैरह

निवासी कल्याणपुरा निवासी छोटी बिजौलिया

अधिवक्ता वादी / प्रार्थी / अपीलान्ट

① एस. गिरधारीलाल

डिक्रीदार

अधिवक्ता वादी / प्रार्थी / अपीलान्ट

सुनील धाकड़

रेस्पाडेन्ट / मदयूनाव

श्री .... श्री ....

FORM NO. III

फर्द अहकम

नियम 26

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम बिजौलियां

शंकरलाल बनाम शंकरलाल

किस्म मुकदमा ८४-१८८ नम्बर 20 सन 2020

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
. .2020	वादपत्र पत्र सीगे से बाद जांच पेश हुआ। वकील वादी उपस्थित। वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये नोटिस सम्मन मय नकल वादपत्र पत्र भेज की जावें। पत्रावली दिनांक 22/07/2020 को वास्ते तलबी/जवाब पेश हों। उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां	
22/7/20	[illegible] तलबी/जवाब [illegible] 23.7.20 उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां	
23/7/20	[illegible] तलबी/जवाब 13.8.20 उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां	
13/8/20	पत्रावली पेश हुई। वकीलवादी उपस्थित। प्रतिवादी गणों की वाद तामिल प्राप्त हुई जो शामिल पत्रावली है। पत्रावली वास्ते गोंड तलबी दि. 2.9.20 को पेश हो।	
2/9/20	पत्रावली पेश हुई। वकीलवादी उप.। पत्रावली वास्ते गोंड तलबी दि. 23.9.20 को पेश हो।	

23/9/20 पत्रावली पेश हुई। पत्रावली वास्ते गौड तलबी दि. 21.10.20 को पेश हो।

21/10/20 पत्रावली पेश हुई। प्रतिवादीगणों की पूर्व में तामील हो चुकी है। आवाज दिलायी गयी गैर हाजिर अतः प्रतिवादीगणों के खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित किये जाते है। पत्रावली वास्ते साक्ष्यवादी दि. 11.11.20 को पेश हो।

11/11/20 पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान P.O. सा. दौरे पर है। अतः पत्रावली दिनांक 9.12.20 को वास्ते साक्ष्यवादी पेश हो।

उप खण्ड अधिकारी

9/12/20 पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान P.O. सा. दौरे पर है। अतः पत्रावली दिनांक 6.1.2021 को वास्ते साक्ष्यवादी पेश हो।

उप खण्ड अधिकारी

6/1/2021 पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान P.O. सा. कोविड-19 से संक्रमित है अतः पत्रावली दिनांक 3.2.2021 को वास्ते सा.वादी पेश हो।

उप खण्ड अधिकारी

3/2/21 पत्रावली पेश हुई। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि प्रतिवादी स 1 से 3 तक का वकालतनामा पूर्व में ही 27.7.2020 को पेश है। अतः CPC की धारा 151 के तहत ऑर्डरशीट दिनांक 21.10.2021 को संशोधित किया जाता है कि एक पक्षीय कार्यवाही निरस्त की जाती है। पत्रावली वास्ते प्रतिवादी स. 1 से 3 तक का जवाब हेतु नियत की जाती है। पत्रावली वास्ते जवाब दि. 24.2.21 को पेश हो।

APP- A
Crim-5

FORM NO. III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम बिजौलिया

शंकरलाल बनाम शंकरलाल

किस्म मुकदमा 88-188 RTA नं. 20/2020 वर्ष

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24/2/21	पत्रावली पेश हुई। पत्रावली वास्ते जवाब दि. 17.3.21 को पेश हो।	
17/3/21	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर है। पत्रावली दिनांक 28.4.21 को वास्ते जवाब पेश हो। उप खण्ड अधिकारी	
28/4/21	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित ~~श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर है~~ कोरोना अवकाश। पत्रावली दिनांक 9.6.21 को वास्ते जवाब पेश हो। उप खण्ड अधिकारी	
9/6/21	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित ~~श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर है~~ कोरोना अवकाश। पत्रावली दिनांक 14.7.21 को वास्ते जवाब पेश हो। उप खण्ड अधिकारी	
14/7/21	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित ~~श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर है~~ कोरोना अवकाश। पत्रावली दिनांक 25.8.21 को वास्ते जवाब पेश हो। उप खण्ड अधिकारी	
25/8/21	पत्रावली पेश हुई अभिभाषक अप्रार्थी अनुपस्थित। पत्रावली वास्ते जवाब दि. 30.9.21 को पेश हो।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
18/11/21	पत्रावली प्रशासन गाँवो के संग अभियान-2021 मे पेश हुई पक्षकार वादी/प्रतिवादी हाजिर/गैर हाजिर पक्षकारो में सहमति नही बनने से राजीनामा नही हो सका। पत्रावली दि. 23.12.21 को वास्ते जवाब पेश हुई। (उपखण्ड अधिकारी) बिजौलियाँ (भीलवाड़ा)
23/12/21	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक उभयपक्ष उपस्थित वकील प्रतिवादी जवाब हेतु अवसर चाहता है, जो दिया जाता है। पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 27.01.2022 को पेश हो।
27.1.22	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर है। पत्रावली दिनांक 31.3.22 को वास्ते [illegible] पेश हो। उप खण्ड अधिकारी
31.3.22	पत्रावली पेश हुई अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। पत्रावली कई समय से जवाब में लम्बित होने से जवाब का अवसर समाप्त किया जाता है। पत्रावली वास्ते साक्ष्यवादी दिनांक 28.4.2022 को पेश हो।
28.4.22	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित पत्रावली वास्ते साक्ष्यवादी दिनांक 16.06.22 को पेश हो।
16/6/22	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर है। पत्रावली दिनांक 13.7.22 को वास्ते साक्ष्यवादी पेश हो। उप खण्ड अधिकारी
13/7/22	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर है। पत्रावली दिनांक 17/8/22 को वास्ते सा. वादी पेश हो। उप खण्ड अधिकारी

08/2022

अहकाम हुक्म सं.	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
08 / 2022	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। पत्रावली वास्ते साक्ष्यवादी दिनांक 21.09.2022 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
21.9.22	पत्रावली पेश हुई। पत्रावली वास्ते ~~[illegible]~~ साक्ष्यवादी दि. 28.9.22 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
28.9.22	पत्रावली पेश हुई। ~~पत्रावली~~ वास्ते ~~[illegible]~~ साक्ष्यवादी दि. 12.10.22 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
12/10/22	पत्रावली पेश हुई। वकीलवादी उपस्थित। साक्ष्यवादी में PW-1 - शंकरलाल बलाई, PW-2 मदन लाल बलाई, PW-3 देवीलाल बलाई के बयान लिये गये जो शामिल पत्रावली है। पत्रावली वास्ते साक्ष्यवादी दि. 7.12.22 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
7/12/22	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान P.O. सा. दौरे पर है। पत्रावली दिनांक 25.1.23 को वास्ते साक्ष्यवादी पेश हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी	
25/1/23	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान P.O. सा. दौरे पर है। पत्रावली दिनांक 15.3.23 को वास्ते सा.वादी पेश हो। govind उपखण्ड अधिकारी	
15/3/23	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान P.O. सा दौरे पर है। पत्रावली दिनांक 19/4/23 को वास्ते सा.वादी पेश हो। govind	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
17/4/23	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। प्रा. ली दिनांक 24/5/23 को वास्ते सा. वादी पेश हो। उप खण्ड अधिकारी
24/5/23	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। पत्रावली वास्ते साक्ष्यवादी दिनांक 21/6/23 को पेश हो।
21/6/23	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता प्रतिवादीगण द्वारा No Instruction किया गया। अधिवक्ता वादी और साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करना चाहते हैं। पत्रावली वास्ते बहस एक तरफा हेतु दिनांक 28/6/23 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी ...लियाँ जिला-भीलवाड़ा
No Instruction M 21-6-23	
28/6/23	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 13/12/23 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा
20/12/23	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी उपस्थित। पत्रावली वास्ते निर्णय दिनांक 04/01/24 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा
04/1/24	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी उपस्थित। पत्रावली में निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली में विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

बईजलास श्रीमती सीमा तिवाड़ी (आर0ए0एस0)

राजस्व प्रकरण संख्या 20/2020 दायर तारीख 02.07.2020

अनवान

1- शंकरलाल पुत्र कन्हैयालाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी कल्याणपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

2- सरिता पुत्री रमेशचन्द्र जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी कल्याणपुरा हाल विक्रमपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

.................वादीगण

बनाम

01. शंकरलाल पुत्र भंवरलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी छोटी बिजौलियां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

02. मांगीलाल पुत्र बरदा जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी थडोदा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

03. छीतर पुत्र बरदा जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी थडोदा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

04. राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)।

.............प्रतिवादीगण

उपस्थित :– 1. श्री गिरधारीलाल आचार्य – अधिवक्ता वादीगण

2. एक पक्षीय कार्यवाही – प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–:निर्णय:–

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ (भीलवाड़ा)

प्रकरण संख्या 20 सन् 2020 रे0रे0

निर्णय दिनांकः– 04/01/2024

वादीगण द्वारा वादपत्र अर्न्तगत धारा 88–188 रा0टि.एक्ट के तहत पेश करने पर सीगे से रिपोर्ट मंगवायी गयी। सीगेदार की वाद दर्ज करने हेतु उपर्युक्त होने की रिपोर्ट प्राप्त होने पर वाद दर्ज रजिस्टर किये जाने के आदेश दिये। प्रतिवादीगण को सम्मन मय वादपत्र की नकल भिजवायी गयी।

वादीगण के वादपत्र अनुसार वादग्रस्त जायदाद स्थित मौजा बिजौलिया खुर्द प0ह0 बिजौलिया खुर्द के राजस्व अभिलेख अनुसार ख0न0 1696/1 रकबा 3 बीधा 10 बिस्वा व खसरा नम्बर 1869/1699 रकबा 10 बिस्वा कुल किता 2 रकबा 4 बीधा से वादी कम 1 व वादिया कम 2 के पिता स्व. रमेशचन्द्र धाकड की खातेदारी मे दर्ज है।

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाडा

लगातार पेज संख्या 02 पर

खसरा सख्या 1696/1 के कुलिया रकबे 3 बीधा 10 बिस्वा मे से 1 बिस्वा को छोडकर व खसरा सख्या 1869/1699 रकबा 10 बिस्वा पर जरिये काश्त के वादीगण का कब्जा है प्रतिवादी कमाक 1 से 3 तक वादीगण के खाते व कब्जे की भूमि पर जबरन अतिचार कर अवैध कब्जा कर अनुचित कृषि लाभ अर्जित करना चाहते है। वादीगण ने खसरा सख्या 1869/1699 रकबा 10 बिस्वा की उतरी मेर पर अतिकमण को रोकने के लिए तारबन्दी कर रखी है।

प्रतिवादीगण ने मोके पर विवाद कर वादीगण की खातेदारी भूमि की मिटटी उठाने के लिए जे.सी.बी. लगा भूमि को अनपयोग बनाने का प्रयास किया। प्रतिवादीगण ने अपनी खातेदारी भूमि मे भरने वाले पानी को वादीगण की खातेदारी भूमि मे डालने के लिए यह अनुचित प्रयास किया। वादीगण के रोकने पर नही माने तो वादीगण ने यह वाद प्रस्तुत कर न्यायालय से प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थायी निषेधाज्ञा की मांग की।

वादिया न0 2 के पिता खातेदार स्व0 रमेशचन्द्र की इकलौती वारिस होने से स्व. रमेशचन्द्र धाकड के स्थान पर वादीया कम 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने हेतु न्यायालय से धारा 88 रा0टि0एक्ट के तहत अनुतोष की मांग की साथ यह भी वादपत्र में अंकित किया कि प्रतिवादीगण कम 1 से 3 तक वादीगण के खाते व कब्जे की भूमि मे नाला बना अपनी खाते की भूमि का पानी निकालना चाहते है उन्हे रोका जावे। इस हेतु वादीगण के पक्ष मे प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे।

दिनांक 13-08-2020 को न्यायालय द्वारा भिजवाये की सम्मन की तामिल हो जाने के बावजूद प्रतिवादीगण उपस्थित नही आये। प्रतिवादीगण की उपस्थिती हेतु अवसर देने के लिए एक पेशी बदली गयी। फिर भी प्रतिवादीगण के उपस्थित नही आने से दिनांक 21-10-2020 को प्रतिवादीगण के विरूद्व एक पक्षिय आदेश पारित किये गये।

दिनांक 3-2-2021 को प्रतिवादीगण के अभिभाषक ने उपस्थित होकर वकालत नामा पूर्व मे पेश करने की जानकारी दी गयी। न्याय हित मे पूर्व पारित एक पक्षिय आदेश दिनांक 21-10-2020 को निरस्त कर जवाब हेतु प्रतिवादीगण कमाक 1 से 3 तक को अवसर प्रदान किया ।

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ (भीलवाडा)

प्रतिवादीगण कम 1 से 3 तक के द्वारा दिनांक 31-3-2022 तक जवाब दावा पेश नही करने से जवाब का अवसर समाप्त किया गया व वादीगण को गवाह पेश करने का अवसर दिया गया।

वादीगण ने दिनांक 12-10-2022 को साक्ष्य मे पी.डब्ल्यू एक शंकरलाल, पी.डब्ल्यू 2 मदनलाल, पी.डबल्यू 3 देवीलाल के बयान कराये। इसके पश्चात और गवाह प्रस्तुत करने हेतु अवसर दिये गये । दिनांक 21-6-2023 को वादीगण ने अपनी साक्ष्य बन्द की। न्यायहित मे प्रतिवादी सख्या 1 से 3 के अभिभाषक को वाद में अपनी ओर से कार्यवाही करने हेतू पूछा गया तो उन्होने हिदायत पैरवी से इन्कार किया।

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाडा

लगातार पेज संख्या 03 पर

पत्रावली अन्तिम बहस मे लगायी। पी.डब्ल्यू एक शंकरलाल जो कि वादी है उसने अपने सशपथ बयान मे वादग्रस्त जायदाद उनकी खातेदारी व कब्जे की भूमि होने का कथन किया व खातेदार स्व. रमेशचन्द्र की पुत्री वादिया क्रम 2 के होने की पुष्टी की। वादग्रस्त जायदाद पर जरिये काश्त के वादीगण का कब्जा होना बताया। व प्रतिवादीगण न. 01 से 03 तक के द्वारा जबरन वादीगण की खातेदारी भूमि से मिट्टी हटवा वादीगण की खातेदारी भूमि मे नाला बना अपनी खातेदारी भूमि का पानी निकालने का प्रयास किया। यह कार्य प्रतिवादीगण ने जेसीबी लगा करवाने से वादीगण ने रोका तो नही माने। वादीगण ने यह वाद पेश किया। गवाह ने वाद के साथ प्रस्तुत जमाबन्दी व नक्शा ट्रैस को प्रदर्श करवाया।

वादीगण के गवाह पी.डबल्यू 2 मदनलाल धाकड ने जमीन को जानना व वादीगण का उस पर कब्जा होने का कथन किया व प्रतिवादीगण क्रम 1 से 3 तक द्वारा किये जाने वाले अतिक्रमण के बारे मे भूमि की मिट्टी हटाने बाबत वादीगण के पक्ष मे बयान दिये।

वादीगण के गवाह पी0डबल्यू 3 देवीलाल ने करीब वही तथ्य अपने बयान मे कथन किये जो गवाह पी.डब्ल्यू 1 व 2 ने न्यायालय मे अपने सशपथ कथन किया।

वादीगण द्वारा साक्ष्य समाप्त करने व प्रतिवादीगण का कोई जवाब पत्रावली मे पेश नही होने न ही अपने पक्ष के कब्जे बाबत दस्तावेज व साक्ष्य पेश नही किये गये है। अधिवक्ता वादीगण की एक पक्षिय बहस सुनी गयी।

वादीगण ने वादपत्र प्रस्तुत जमाबन्दी व नक्शा ट्रैस की और न्यायालय का ध्यान दिलाते हुये निवेदन किया कि वादीगण वादग्रस्त जायदाद के खातेदार है उन्होने अपनी ओर से दो निष्पक्ष गवाहन के बयान करावायें एवं वादीगण ने विवादित जायदाद को अपनी खातेदारी भूमि होना सिद्व करवाया है प्रतिवादीगण की ओर से न तो जवाब पेश किया गया न साक्ष्य पेश की गयी है। वादीगण ने अपना वाद साबित करवाया है। वादपत्रडिकी फरमाया जावे।

न्यायालय द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज व साक्ष्य व वादीगण की ओर से पत्रावली पर उपस्थित साक्ष्य व दस्तावेज का अवलोकन किया गया बहस पर ध्यान पूर्वक विचार किया। न्यायालय का निर्णय इस प्रकार है।

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ (भीलवाड़ा)

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

लगातार पेज संख्या 04 पर

प्रस्तुत जमाबन्दी से वादी कम एक अभिलिखित खातेदार है, व वादिया कम 2 के पिता की मृत्यु हो गयी है व उसकी इकलोती वारिस है। इसलिए वादिया कम 2 के खसरा सख्या 1696/1 रकबा 3 बीधा 10 बिस्वा व खसरा सख्या 1869/1699 रकबा 10 बिस्वा मे 1/2 हिस्से की खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। सह खातेदार स्व. रमेशचन्द्र धाकड के स्थान पर वादिया कम 2 को खातेदारी प्रदान की जाती है।

प्रस्तुत साक्ष्य से वादीगण का वादग्रस्त जायदाद पर कब्जा होना स्थापित हुआ है प्रतिवादीगण का ऐसा कोई बचाव न्यायालय पत्रावली पर नही है जिससे कि उनके द्वारा नाला बनाने हेतु वादीगण की खातेदारी भूमि से प्रतिवादीगण कम 1 से 3 तक के द्वारा उठाये जाने मिटटी को उचित ठहराया जा सके। प्रतिवादीगण कम 01 से 03 तक के वादीगण की खातेदारी भूमि की मिटटी हटाने से नही रोकने की स्थिती मे वादग्रस्त भूमि कृषि उपयोग की नही रहना भी साक्ष्य से सिद्व हुआ है। इसलिए प्रतिवादीगण के विरूद्व उनके मिटटी हटाने व कृषि भूमि को नुकसान से बचाने प्रतिवादीगण कम 01 से 03 तक को अतिकमण से रोकने हेतु व वादीगण के कब्जे काश्त मे हस्तक्षेप नही करने हेतु एवं साथ ही वादीगण को विवादित भूमि के चारों ओर तारबन्दी करने से नही रोकने हेतु प्रतिवादीगण कम 1 से 3 के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा दिया जाना उचित प्रतित होता है इसलिए प्रतिवादीगण कम 1 सें 3 के विरूद्व स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है।

–: आदेश :–

न्यायालय द्वारा इस आशय की डिकी जारी की जाती है कि स्व. रमेशचन्द्र धाकड की वारिस वादिया कम 2 को मौजा ग्राम बिजौलियां खुर्द प0 ह0 बिजौलियां खुर्द तहसील बिजौलियां स्थित ख0न0 1696/1 रकबा 3 बीधा 10 बिस्वा यानि 0.5666 हेक्टेयर व खसरा सख्या 1869/1699 रकबा 10 बिस्वा यानि 0.0809 हेक्टेयर कुल किता 2 रकबा 0.6475 हेक्टेयर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादी सख्या4 न्यायालय की डिकी अनुसार स्व0 रमेशचन्द्र धाकड के स्थान पर वादीया कम 2 का राजस्व रेकर्ड मे नाम दर्ज करे।

प्रतिवादीगण कम 1 से 3 को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वह वादग्रस्त जायदाद की मिटटी नही हटाये न नाला बना वादीगण की खातेदारी से पानी निकाल कृषि भूमि को नष्ट नही करे न वादीगण के कब्जे काश्त मे हस्तक्षेप करे। तथा वादीगण को विवादित जायदाद के चारों तरफ तारबन्दी या दिवार करने से नही रोंके।

न्यायालय आदेशानुसार डिकी मुर्तिब हो व पत्रावली दाखिल दफ्तर की जाकर नम्बर से कम की जावे।

दिनांक : 04/01/2024

(सीमा तिवाड़ी)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

मूल वाद में डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज.)

बईजलास श्रीमती सीमा तिवाड़ी (RAS) उपखण्ड अधिकारी

राजस्व प्रकरण संख्या 20/2020 दायर दिनांक 02.07.2020

अनवान

1- शंकरलाल पुत्र कन्हैयालाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी कल्याणपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

2- सरिता पुत्री रमेशचन्द्र जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी कल्याणपुरा हाल विक्रमपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

..................वादीगण

बनाम

01. शंकरलाल पुत्र भंवरलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी छोटी बिजौलियां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
02. मांगीलाल पुत्र बरदा जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी थडोदा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
03. छीतर पुत्र बरदा जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी थडोदा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
04. राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)।

..............प्रतिवादीगण

उपस्थित :– 1. श्री गिरधारीलाल आचार्य – अधिवक्ता वादीगण
2. एक पक्षीय कार्यवाही – प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–:निर्णय:–

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ (भीलवाड़ा)

निर्णय दिनांक : 04/ 01/2024

डिक्री दिनांक : 04 /01/2024

न्यायालय द्वारा इस आशय की डिकी जारी की जाती है कि स्व. रमेशचन्द्र धाकड की वारिस वादिया कम 2 को मौजा ग्राम बिजौलियां खुर्द प0 ह0 बिजौलियां खुर्द तहसील बिजौलियां स्थित ख0न0 1696/1 रकबा 3 बीधा 10 बिस्वा यानि 0.5666 हेक्टेयर व खसरा सख्या 1869/1699 रकबा 10 बिस्वा यानि 0.0809 हेक्टेयर कुल किता 2 रकबा 0.6475 हेक्टेयर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादी सख्या4 न्यायालय की डिकी अनुसार स्व0 रमेशचन्द्र धाकड के स्थान पर वादीया कम 2 का राजस्व रेकर्ड मे नाम दर्ज करे।

प्रतिवादीगण कम 1 से 3 को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वह वादग्रस्त जायदाद की मिटटी नही हटाये न नाला बना वादीगण की खातेदारी से पानी निकाल कृषि भूमि को नष्ट नही करे न वादीगण के कब्जे काश्त मे हस्तक्षेप करे। तथा वादीगण को विवादित जायदाद के चारों तरफ तारबन्दी या दिवार करने से नही रोंके। डिक्री मूर्तिब हो।

लगातार पेज संख्या 02 पर

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाडा

नीज ....Nil...............................मुबलिग .... Nil ....

...बाबत् .... Nil ......खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शहर .... Nil ......

................फीस दी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक ....

Nil ....का अदा करे।

बशब्द मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 04 माह 01 वर्ष 2024 को जारी किया गया।

(सीमा तिवाड़ी)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां

मुद	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अरजीदया	–		स्टाम्प अरजीदया	–	
स्टाम्प वकीलात नामा	–		स्टाम्प वकीलात नामा	–	
स्टाम्प वजह सबूत	–		स्टाम्प वजह सबूत	–	
महनताना वकील ( )	–		महनताना वकील ( )	–	
खर्चा गवाह	–		खर्चा गवाह	–	
फीस कमीश्नर	–		फीस कमीश्नर	–	
बाबत् इजराय हुक्मनामा	–		बाबत् इजराय हुक्मनामा	–	
मुनफरिक	–		मुनफरिक	–	
मीजान			मीजान		

(सीमा तिवाड़ी)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ (भीलवाड़ा)

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा